न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 132/2008

नाथूलाल पुत्र प्रभुलाल जाति छीपा निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां

.......वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. लटूरलाल पुत्र सुखलाल
2. घनश्याम पुत्र रामकरण
3. गोरधन पुत्र रामकरण
4. उर्मिला पत्नि गिरराज
5. नन्दकिशोर पुत्र पृथ्वीराज
6. पूरणमल पुत्र दौलतराम

(1 से 6) जातियान धाकड निवासीगण शाहपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां

7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0टी0एक्ट0 एवं

धारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री अजीत कुमार जैन

वकील प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 4 : श्री आर0एस0 नागर

वकील प्रतिवादीगण कम 5 : श्री के0 के0 सोनी

निर्णय दिनांक : 09.01.2018

दायरा दिनांक: 25.07.2008

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी को ग्राम शाहपुरा के साबिक खसरा नं0 318/4 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि दिनांक 29.05.1989 को नियमन हुई थी तथा इन्तकाल सं0 249 से उक्त भूमि में वादी का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज हुआ था जो हाल खसरा नम्बर 200 रकबा 2.50 है0 है। सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा हाल खसरा नम्बर 200 में पुराने खसरा नं0 318/4 के मुकाबले 15 बीघा 15 बिस्वा की जगह 2.50 है0 कायम किये तथा वादी के खाते में 0.12 है0 की कमी करदी इस प्रकार वादी के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि 2.50 है0 के स्थान पर 2.62 है0 दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी नं0 1 ता 6 ने वादी के वर्तमान खसरा नं0 200 रकबा 2.50 है0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने 0.03 है0 भूमि प्रतिवादी नं0 4 ने 0.01 है0 तथा प्रतिवादी नं0 5 ने 0.01 है0 भूमि पर जबरन

किया जा रहा है जबकि उपरोक्त भूमिया वादी के कब्जे व खातेदारी की है। अतः वादी के खाते की ग्राम शाहपुरा तह0 मांगरोल के पूर्व साबिक खसरा नं0 318/4 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा के मुकाबले हाल जमाबन्दी रेकार्ड में खसरा नं0 200 रकबा 2.50 है0 के स्थान पर 0.12 है0 जोडकर 2.62 है0 भूमि बतौर खातेदार कृषक दर्ज की जावें। प्रतिवादीगण नं0 1 ता 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी के खाते की भूमि खसरा नं0 200 रकबा 2.50 है0 पूर्व साबिक खसरा नं0 318/4 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 10.01.2011 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 तक को जर्ये सम्मन तलबी की गयी। बार–बार तलबाना भरने एवं तारीख पेशी जारी करने के उपरान्त एवं आज दिनांक 09.01.2018 को भी न्यायालय में रूक–रूककर तीन बार आवाजे लगाने के पश्चात भी कोई प्रतिवादीगण असालतन या वकालतन उपस्थित नही हुए ऐसी सूरत में सभी प्रतिपक्षियों को एक्स पार्टी घोषित कर निर्णय एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज, उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं सुनी गयी बहस पर मनन करने के पश्चात आदेश दिया जाता है कि वादी नाथूलाल पुत्र प्रभुलाल जाति छीपा निवासी सीसवाली के नाम मुताबिक राजस्व रेकार्ड ग्राम शाहपुरा में आराजी खसरा नं0 200 रकबा 2.50 है0 भूमि जो खातेदारी में स्थित है पर मुताबिक रिपोर्ट सीमाज्ञान पटवारी हल्का शाहपुरा दिनांक 09.06.2007 के अनुसार जो मौके पर 0.03 है0 भूमि पर घनश्याम पुत्र रामकरण धाकड व 0.01 है0 भूमि पर उर्मिला पत्नि गिरिराज धाकड ने एवं 0.01 है0 भूमि पर नन्दकिशोर पुत्र पृथ्विराज धाकड ने जो मौके पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ है उसको बेदखली के आदेश पारित किये जाते है। तदनुसार मौके पर तहसीलदार मांगरोल भूमि का सीमाज्ञान कर खातेदार को कब्जा संभलावे एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त वर्णित खातेदार की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करे और ना किसी अन्य प्रतिनिधि से करावें। इन तथ्यो की पालना भी मौके पर तहसीलदार मांगरोल स्वयं जाकर सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।